भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6214

दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को उत्तरार्थ

.....

सिंचाई संबंधी पहल और किसानों की आय पर उसका प्रभाव

6214. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा हाल के वर्षों में किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए की गई पहलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे उपायों को अंगीकृत किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या किसानों की आय पर ऐसे उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): जल के राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की योजना बनाना, उन्हें कार्यान्वित करना, उनका संचालन और प्रबंधन करना तथा राज्य में सिंचाई विस्तार के लिए कार्य योजना तैयार करना संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। भारत सरकार चल रही योजनाओं के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य खेतों में पानी की वास्तविक उपलब्धता बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्रों का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, सतत जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना आदि था। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) पीएमकेएसवाई के दो प्रमुख घटक हैं, जिनका कार्यान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष 2016-25 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 29.23 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और पीएमकेएसवाई एचकेकेपी-सीएडी एवं डब्ल्यूएम के अंतर्गत 22.21 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया गया है। वर्ष 2016-25 के दौरान पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) उप-घटकों के अंतर्गत 5.57 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित/पुनर्स्थापित की गई है।

पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत सृजित सिंचाई क्षमता और विकसित कमान क्षेत्र का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ और मराठवाड़ा तथा शेष महाराष्ट्र क्षेत्र के आत्महत्या प्रवण जिलों में आठ (08) वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और तिरासी (83) सतही लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए जुलाई 2018 में महाराष्ट्र के लिए एक विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया था। तीन (03) वृहद और मध्यम परियोजनाएं और सत्तर (70) सतही लघु सिंचाई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के अंतर्गत 2.16 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है।

इसके अलावा, कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (एमसीएडी) नामक एक पायलट योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य स्थापित स्रोत से लेकर खेत तक भूमिगत दबावयुक्त पाइप सिंचाई के माध्यम से किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के लिए मजबूत आधारभूत संरचना के साथ सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है।

इन पहलों से खेत स्तर पर सिंचाई के पानी की उपलब्धता और विश्वसनीयता में सुधार हुआ है। उन्नत कमान क्षेत्र विकास और सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि हुई है, सिंचित क्षेत्र का विस्तार हुआ है और फसल सघनता बढ़ी है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है और किसानों की आय में सुधार हुआ है।

अनुलग्नक

"सिंचाई संबंधी पहल और किसानों की आय पर उसका प्रभाव" के संबंध में दिनांक 02.04.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 6214 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्ष 2016-25 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता और विकसित कमान क्षेत्र।

सिंचाई क्षमता/कमान क्षेत्र हजार हेक्टेयर में है

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत विकसित सिंचाई क्षमता	पीएमकेएसवाई-सीएडी एंव डब्ल्यूएम के अंतर्गत विकसित कमान क्षेत्र	पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत सृजित/बहाल की गई सिंचाई क्षमता
1	आंध्र प्रदेश	24.33	0.93	1.47
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	26.49
3	असम	39.74	25.4	137.29
4	बिहार	32.2	19.13	56.46
5	छत्तीसगढ़	18.17	13.26	4.87
6	गोवा	4.24	8.21	-
7	गुजरात	614.9	1048.79	3.9
8	हिमाचल प्रदेश	0.96	-	33.51
9	झारखंड	95.32	0	6.09
10	कर्नाटक	116.86	42.94	11.73
11	केरल	2.9	13.28	-
12	मध्य प्रदेश	198.61	420.9	39.83
13	महाराष्ट्र	416.27	279.27	-
14	मणिपुर	26.47	17.07	18.55
15	मेघालय	-	-	30.72
16	मिजोरम	-	-	2.17
17	नागालैंड	-	-	13.36
18	ओडिशा	102.33	106.48	40.36
19	पंजाब	223.63	101.72	-
20	राजस्थान	27.94	103.48	19.01
21	सिक्किम	-	-	5.18
22	तमिलनाडु	7.6	-	13.96
23	तेलंगाना	195.79	10.68	25.55
24	उत्तर प्रदेश	768.63	7.32	2.35
25	उत्तराखंड	0	-	29.92
26	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	6.52	2.05	29.39
27	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	0	0	4.89
कुल		2923.41	2220.91	557.05
